न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 155/2018 दायर दिनाँक 21.05.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुँवार पुत्र गणपतराम, उम्र–75साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. चौथमल पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–60साल, 2. पुखराज पुत्र स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–36साल, 3. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–33साल, 4. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–62साल, 5. मोतीलाल पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–60साल, 6. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–65साल, 7. इमुदेवी पत्नी स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–55साल, 8. संजयकुमार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–36साल, 9. अरूणकुमार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–55साल, 10. सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–55साल, 11. शिवनारायण पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–50साल, 12. बाबुलाल पुत्र स्वर्गीय गणपतलाल, उम्र–80साल, 13. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–57साल, 14. कमला पत्नी स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–50साल, 15. अंकित पुत्र स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–25साल, 16. अशोककुमार पुत्र स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–29साल, 17. श्यामसुन्द पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–70साल, 18. औंकारमल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–60साल, 19. तुलछीराम पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–58साल, 20. मानमल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–55साल,

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 155/2018
दायर दिनाँक 21.05.2018, निर्णय दिनाँक 13.06.2018
रामकुँवार बनाम् चौथमल, वगैरा।

		21. चम्पालाल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–52साल, 22. करणाराम पुत्र स्वर्गीय सुखदेव, उम्र–50साल, 23. नागरमल पुत्र स्वर्गीय मेघराज, उम्र–65साल, 24. रामस्वरूप पुत्र स्वर्गीय मेघराज, उम्र–55साल, 25. अशोक पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद, उम्र–30साल, 26. सुनिल पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद, उम्र–27साल, 27. रामीदेवी पत्नी स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–70साल, 28. सुरेशकुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–40साल, 29. मनोजकुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–35साल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. यूको बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 31. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– **88, 53, 188 R.T.Act.**

उपस्थितः–

1. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा फोगड़ी में खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 14.18 बीघा, खेत खसरा नम्बर 66

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 155/2018
दायर दिनाँक 21.05.2018, निर्णय दिनाँक 13.06.2018
रामकुँवार बनाम् चौथमल, वगैरा।

रकबा 13.11 बीघा, खेत खसरा नम्बर 171 रकबा 0.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 327 रकबा 0.06 बीघा, कुल रकबा 28.15 बीघा, खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 17.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 45 रकबा 01.02 बीघा, खेत खसरा नम्बर 25 रकबा 32.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 16.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 27 रकबा 14.00 बीघा, खेत खसरा नम्बर 31 रकबा 19.05 बीघा, खेत खसरा नम्बर 32 रकबा 12.08 बीघा, खेत खसरा नम्बर 33 रकबा 29.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 02.11 बीघा, कुल खसरा नम्बर 07 रकबा 126.05 बीघा, अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 29 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मोडियावट में निम्नलिखित खसरान् की भूमियों की खातेदारी अग्रानुसार/बन्टानुसार खातेदारी घोषित की जावे।

1. खसरा नम्बर 25 रकबा 32.10 बीघा में से रकबा 12.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 04.03 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
2. खसरा नम्बर 33 रकबा 29.01 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को तथा रकबा 13.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
3. खसरा नम्बर 36 रकबा 17.02 बीघा में से रकबा 09.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम हटाया जावे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

4. खसरा नम्बर 45 रकबा 01.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
5. खसरा नम्बर 48 रकबा 02.11 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
6. खसरा नम्बर 58 रकबा 39.19 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अरूणकुमार, संजयकुमार, इमुदेवी, चौथमल व शिवनारायण का नाम हटाया जावे। इस रकबे की शेष भूमि रकबा 31.19 बीघा की खातेदारी बदस्तूर जारी रखी जावे।

स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 31 तक के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम मोडियावट सम्वत् 2072–75 खेवट संख्या 184/170 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम मोडियावट सम्वत् 2072–75 खेवट संख्या 223/203 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम मोडियावट सम्वत् 2072–75 खेवट संख्या 250/230 की प्रमाणित प्रतिलिपि, सहमति–पत्र (बारह) की छायाप्रतियाँ, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**छापरी कलाँ** में पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया।

पक्षकारान् दावानुसार, वाद डिक्री किया जाने में सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् के निवेदन व इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 166 / 2018
दायर दिनाँक 21.05.2018, निर्णय दिनाँक 13.06.2018
रामकुँवार बनाम् चौथमल, वगैरा।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, वाद वादी स्वीकार किया जाना सामने आया है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है और मजमे आम में उपस्थित पक्षकारान् वाद में अपनी–अपनी सहमति देना जाहिर करते हैं, ऐसी स्थिति में वाद वादी स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाना, न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मोडियावट** में वादग्रस्त निम्नलिखित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. खसरा नम्बर 25 रकबा 32.10 बीघा में से रकबा 12.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 04.03 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 33 रकबा 29.01 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को तथा रकबा 13.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 36 रकबा 17.02 बीघा में से रकबा 09.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
4. खसरा नम्बर 45 रकबा 01.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 155/2018
दायर दिनाँक 21.05.2018, निर्णय दिनाँक 13.06.2018
रामकुँवार बनाम् चौथमल, वगैरा।

5. खसरा नम्बर 48 रकबा 02.11 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
6. खसरा नम्बर 58 रकबा 39.19 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अरूणकुमार, संजयकुमार, इमुदेवी, चौथमल व शिवनारायण का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। इस रकबे की शेष भूमि रकबा 31.19 बीघा की खातेदारी में वर्तमान दर्ज समस्त नाम, बदस्तूर जारी रहेंगे।

उपर्युक्तानुसार पृथक–पृथक से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जावे। उपर्युक्त घोषितानुसार खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–छापरी कलाँ

निर्णय, आज दिनाँक 13.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–छापरी कलाँ

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 155/2018 दायर दिनाँक 21.05.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकुँवार पुत्र गणपतराम, उम्र–75साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. चौथमल पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–60साल, 2. पुखराज पुत्र स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–36साल, 3. हीरालाल पुत्र स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–33साल, 4. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–62साल, 5. मोतीलाल पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–60साल, 6. सीतादेवी पत्नी स्वर्गीय रामाकिशन, उम्र–65साल, 7. इमुदेवी पत्नी स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–55साल, 8. संजयकुमार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–36साल, 9. अरूणकुमार पुत्र स्वर्गीय बद्रीनारायण, उम्र–55साल, 10. सत्यनारायण पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–55साल, 11. शिवनारायण पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, उम्र–50साल, 12. बाबुलाल पुत्र स्वर्गीय गणपतलाल, उम्र–80साल, 13. रामनिवास पुत्र स्वर्गीय धुकलचन्द, उम्र–57साल, 14. कमला पत्नी स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–50साल, 15. अंकित पुत्र स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–25साल, 16. अशोककुमार पुत्र स्वर्गीय डूँगरमल, उम्र–29साल, 17. श्यामसुन्द पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–70साल, 18. औंकारमल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–60साल, 19. तुलछीराम पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–58साल, 20. मानमल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–55साल,

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		21. चम्पालाल पुत्र स्वर्गीय बेगराज, उम्र–52साल, 22. करणाराम पुत्र स्वर्गीय सुखदेव, उम्र–50साल, 23. नागरमल पुत्र स्वर्गीय मेघराज, उम्र–65साल, 24. रामस्वरूप पुत्र स्वर्गीय मेघराज, उम्र–55साल, 25. अशोक पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद, उम्र–30साल, 26. सुनिल पुत्र स्वर्गीय रामप्रसाद, उम्र–27साल, 27. रामीदेवी पत्नी स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–70साल, 28. सुरेशकुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–40साल, 29. मनोजकुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीशप्रसाद, उम्र–35साल, समस्त,जाति–ब्राह्मण, निवासी–फोगड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 30. यूको बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 31. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **13.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा **मोडियावट** में वादग्रस्त निम्नलिखित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक भूमि की, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है।

1. खसरा नम्बर 25 रकबा 32.10 बीघा में से रकबा 12.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को व रकबा 04.03 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को व रकबा 08.00

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 02, 03 व 06 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. खसरा नम्बर 33 रकबा 29.01 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को तथा रकबा 13.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 36 रकबा 17.02 बीघा में से रकबा 09.02 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 09 को व रकबा 08.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
4. खसरा नम्बर 45 रकबा 01.02 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 11 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

5. खसरा नम्बर 48 रकबा 02.11 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
6. खसरा नम्बर 58 रकबा 39.19 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अरूणकुमार, संजयकुमार, इमुदेवी, चौथमल व शिवनारायण का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। इस रकबे की शेष भूमि रकबा 31.19 बीघा की खातेदारी में वर्तमान दर्ज समस्त नाम, बदस्तूर जारी रहेंगे।

उपर्युक्तानुसार पृथक–पृथक से खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की जावे। उपर्युक्त घोषितानुसार खातेदारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करें।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज........–........ मुबलिंग............–.............. बाबत............. ......–..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–छापरी कलाँ

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–छापरी कलाँ

Scanned by CamScanner